माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in Email ID – registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 230 / 02 / सम्ब0 / MSU / 2025–26 दिनांक : 9-5-25

सेवा में,

प्रबन्धक / प्राचार्य / प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय

शीर्ष प्राथमिकता / तत्काल

विषय – महाविद्यालय में नियुक्त शिक्षक, प्राचार्य, प्रबन्ध समिति एवं अन्य विवरण प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र संख्या –1823 प्रशा0 / MSU / 2024–25, दिनांकः 20.02.2025, पत्र संख्या–1905 / 02 / प्रशा0 / MSU / 2024–25, दिनांकः 16.03.2025 एवं पत्र संख्या–70 / 02 / प्रशा0 / एम0एस0यू0 / 2025–26, दिनांकः 18.04.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा विश्वविद्यालय परिनियम की धारा 13.22 के आलोक में अनुदानित महाविद्यालय में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रम एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में नियुक्त अनुमोदित प्राचार्य, शिक्षकों का अनुमोदन पत्र, अनुमोदित प्रबन्ध समिति का पत्र, प्राचार्य / शिक्षकों के वेतन भुगतान का प्रमाण–पत्र (प्राचार्य / शिक्षक के पासबुक की एक वर्ष की प्रमाणित प्रति), AISHE प्रमाण–पत्र (सत्र 2023–24), महाविद्यालय में अध्ययनरत् समस्त छात्रों का समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण का प्रमाण–पत्र इत्यादि विश्वविद्यालय में दिनांक : 26.04.2025 तक सहा0 कुलसचिव (सम्बद्धता) को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु अधिकांश महाविद्यालयों द्वारा अभी तक उक्त विवरण विश्वविद्यालय में जमा नहीं कराये गये है।

उक्त प्रकरण पर कार्यपरिषद की बैठक दिनांकः 8.05.2025 के प्रस्ताव संख्याः 06.01 के अन्तर्गत विचार किया गया। कार्यपरिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् निश्चय किया गयाः–

"विश्वविद्यालय से सम्बद्ध जिन महाविद्यालयों में प्रबन्ध समिति, मानकानुसार शिक्षक, वेतन भुगतान अन्य आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता नहीं हैं वह महाविद्यालय 10 जून, 2025 तक किसी भी दशा में उक्त कमियों को पूर्ण कर सम्बन्धित अभिलेख विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में जिन महाविद्यालयों द्वारा कमियों को पूर्ण कराकर सम्बन्धित अभिलेख विश्वविद्यालय में निर्धारित तिथि तक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं उन महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2025–26 में प्रवेश हेतु प्रवेश पोर्टल किसी भी दशा में न खोला जाये।"

इस सम्बन्ध में मुझे पुनः यह कहने का निर्देश हुआ है कि कार्यपरिषद द्वारा किये गये उक्त निश्चय के आलोक में अनुमोदित प्राचार्य, शिक्षकों का अनुमोदन पत्र, अनुमोदित प्रबन्ध समिति का पत्र, प्राचार्य / शिक्षकों के वेतन भुगतान का प्रमाण–पत्र (प्राचार्य / शिक्षक के पासबुक की एक वर्ष की प्रमाणित प्रति), AISHE प्रमाण–पत्र (सत्र 2023–24), महाविद्यालय में अध्ययनरत् समस्त छात्रों का समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण का प्रमाण–पत्र इत्यादि अभिलेख विश्वविद्यालय में अनिवार्य रूप से दिनांकः 10 जून, 2025 तक जमा कराना सुनिश्चित करें, यदि महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति अनुमोदित नहीं है या मानकानुसार शिक्षक अनुमोदित नहीं अथवा अन्य आधारभूत कमियां है तो उनका तत्काल नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए विश्वविद्यालय से अनुमोदन कराकर प्रत्येक दशा में दिनांकः 10 जून, 2025 तक पत्रावली समस्त अभिलेख सहित सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता) को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिन महाविद्यालयों द्वारा उक्त विवरण विश्वविद्यालय में प्रेषित नहीं किया जायेगा उन महाविद्यालयों के सत्र 2025–26 में किसी भी दशा में प्रवेश नहीं खोले जायेगे। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय का होगा।

भवदीय

(वीरेन्द्र कुमार मौर्य)
कुलसचिव

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01. परीक्षा नियंत्रक।
02. वित्त अधिकारी।
03. उपकुलसचिव।
04. सहायक कुलसचिव(सम्बद्धता) को इस आशय से प्रेषित कि महाविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति से परीक्षण कराकर पाठ्यक्रम / विषय की सीटों का विवरण प्रवेश समन्वयक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
05. कुलपति कार्यालय को मा0 कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।

कुलसचिव